पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 646/अका.का.प/2020 रायपुर, दिनांक 27 /10/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की पचपनवीं बैठक मंगलवार दिनांक 03.11.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.09.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 1 से 4 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.09.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

   टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.10.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र 5 से 8 तक)**

   टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. **स्थानीय न्यायालयों के पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 9)**

टीप : माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2007 एवं 19.02.2020 के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश पाण्डेय एवं श्री जन्मेजय सोना को स्थानीय न्यायालय, रायपुर में पैरवी करने हेतु प्रतिमाह मानदेय राशि 6000/– (रुपए छः हजार मात्र) एवं अन्य व्यय 1500/– (रुपए एक हजार पाँच सौ मात्र) प्रति प्रकरण हेतु, अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद् के बैठक दिनांक 19.02.2020 के द्वारा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पैनल अधिवक्ताओं का मानदेय राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि हेतु अनुमोदन किया गया है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2020 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं का प्रतिमाह मानदेय राशि 6000/– (रुपए छः हजार मात्र) में 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने व 1500/– (रुपए एक हजार पाँच सौ मात्र) अन्य व्यय दिए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। (कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।)

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी, तकनीकी सहायकों के पेंशन प्रकरण निराकरण के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 10)**

   टीप : डॉ. प्रदीप दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी तीनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण पर कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर से प्राप्त क्र. 314/132/आउशि/वि.वि.अनु./2020 नया रायपुर दिनांक 26.08.2020 के द्वारा पेंशन प्रकरण पर आपत्ति निरूपित किया गया था।

   अपने पत्र में संचालनालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वेतनमान 5500–9000 विभागीय ज्ञापन क्रं. 1844/3568/2008/38–2 दिनांक 23.05.2012 द्वारा पद सृजन स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार पेंशन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा शासन से प्राप्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.04.2005 के बिंदु क्र. 02 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वि. वि. के आदेश क्रमांक 2299/सा.प्रशा./2012 दिनांक 21.06.2012 को उपरोक्त तीनों तकनीकी सहायक को वर्ष 1996 से वेतनमान 5500–9000/– मान्य किया गया था। उक्त वेतनमान पर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा यह आपत्ति निरूपित की गई है कि जिस तिथि को पद एवं वेतनमान ही स्वीकृत नहीं हुआ है उस तिथि से पद एवं वेतनमान दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा पद एवं वेतनमान स्वीकृति तिथि वर्ष 2012 से संशोधित करते हुए वेतन निर्धारण कर पेंशन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।)

6. **सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 11 से 14)**

टीप : छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 (छायाप्रति संलग्न है।) के अनुसार छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80%, एवं 90%, राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाए। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाए।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों/कार्यालयों के साथ–साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाए।

राज्य के सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकार/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए –

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब कर्मी का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा।

यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार परिनियम क्रमांक 31 की कंडिका 5(1) में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. **डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि के संबंध में।** **(पृष्ठ क्र. 15)**

__टीप__ : उड़िसा राजभवन भुवनेश्वर के अधिसूचना क्रमांक GOV-HE-UXVII-0004-2020/4603/SG (HE) दिनांक 09.06.2020 के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.06.2020 के निर्णय के परिपालन में डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर में कुलपति के पद पर दिनांक 25.07.2020 से 24.10.2020 तक 03 माह के धारणाधिकार स्वीकृत किया गया था। (आदेश क्रमांक 1436/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 02.07.2020)

कुलाधिपति, राजभवन, भुवनेश्वर ने अधिसूचना क्रमांक GOV-HE-UXVII-0004-2020/8048/SG (HE) दिनांक 09.10.2020 के द्वारा COVID-19 महामारी के खतरे के कारण डॉ. ए. के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर के पद पर कार्य अवधि में 25 अक्टूबर से 30 नवम्बर, 2020 तक 1 माह की वृद्धि की गई है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में परिनियम 31 की कंडिका 11 का उद्धरण निम्नानुसार है:— On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post, acquires a lien on the second post and cases to hold any lien on the first one.

अतः डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदन दिनांक 22.10.2020 के अनुसार इन्हें प्रोफेसर, जैविकी के पद पर __**दिनांक 25 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक**__ के धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न है।)

__अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव__

8. **महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध—केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 16)**

__टीप__ : शोध उपाधि समिति (RDC) वाणिज्य की बैठक दिनांक 07.10.2020 के निर्णयानुसार महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को समाजशास्त्र विषय में शोध—केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। (बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) रिवाइज्ड रेगुलेशन नंबर—107 की कंडिका—08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

__वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव__

9. **डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

__टीप__ : डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साख्यिकी अध्ययनशाला दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके सेवानिवृत्ति पर डॉ. सिंह के सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतिम शेष ब्याज सहित रु. 27,33,301/— (रुपए सत्ताईस लाख तैंतीस हजार तीन सौ एक मात्र) जमा है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 1944/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 05.09.2020 के द्वारा किसी भी विभाग से लेना—देना शेष नहीं है। अतः डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साख्यिकी अध्ययनशाला के खाते में जमा अंतिम शेष रु. 27,33,301/— (रुपए सत्ताईस लाख तैंतीस हजार तीन सौ एक मात्र) भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में जमा अंतिम शेष निम्नानुसार :–

1	श्रीमती लता दुबे, सेवानिवृत्त चपरासी	4,49,871.00
2	श्रीमती कुमारी बाई, सेवानिवृत्त, माली	3,45,515.00
3	श्रीमती मैना बाई, सेवानिवृत्त हॉस्टल सर्वेंट	3,62,608.00
4	श्री नंद कुमार, सेवानिवृत्त स्वच्छक	2,26,198.00
5	श्री राकेश कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी लिपिक	11,92,646.00
	कुल राशि रुपये =	**25,76,838.00**

उक्त कर्मचारियों का किसी भी विभाग से लेन–देन शेष नहीं है। अतः इनके सामान्य भविष्य निधि खाते में सेवानिवृत्ति के तिथि से जमा रु. 25,76,838.00 (रुपए पच्चीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ अड़तीस मात्र) अंतिम शेष भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **बजट सत्र 2020–21 में Additional Provision for Land Acquisition के मद 200.00 (रुपए दो करोड़ मात्र) से 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) Scholarship awarded By University मद में छात्रवृत्ति हेतु स्थानांतरण किए जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति भुगतान हेतु देयक प्राप्त हो रहे हैं। बजट सत्र 2020 –21 के बजट A Gen. Adm. 20 Additional Provision for Land Acquisition के मद 200.00 (रुपए दो करोड़ मात्र) (वर्तमान में कोई खर्च नहीं) से 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) Scholarship awarded By University मद में राशि स्थानांतरित किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. **सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड्./पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. 2020 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 9,50,000.00 (रुपए नौ लाख पचास हजार मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड्./पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. 2020 के संचालन हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को राशि रु. 9,50,000.00 (रुपए नौ लाख पचास हजार मात्र) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है, किए गए भुगतान को कार्यपरिषद् में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

13. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार
27.10.20
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 647 अका.का.प/2020 **रायपुर, दिनांक 27 /10/2020**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

27.10.20
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

(1)

क्रमांक : 180 / अका. / का.प / 2020 रायपुर, दिनांक 10/09/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौवनवीं बैठक गुरुवार दिनांक 10.09.2020 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य
2. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा – सदस्य
3. डॉ. प्रोमिला सिंह – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य
5. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य
6. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य
7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट – सदस्य
8. श्री राजेश कुमार सिसोदिया – सदस्य
9. डॉ. एस.आर. गुप्ता – सदस्य
10. श्री गोविंद कुमार चंद्राकर – सदस्य
11. डॉ. एम.एल. नायक – सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 24.06.2020 एवं आपातिक बैठक दिनांक 10.08.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 24.06.2020 एवं आपातिक बैठक दिनांक 10.08.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे के सी.पी.एफ. राशि के अंतिम भुगतान रु. 23,75,284/– (तेइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे के सी.पी.एफ. राशि के अंतिम भुगतान रु. 23,75,284/– (तेइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) की सूचना ग्रहण की गई।

4. वित्तीय सत्र 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः वित्तीय सत्र 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u>

5. डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला का नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला का 202 दिनों के अर्जित अवकाश नगदीकरण रु. 15,50,498/– (रुपए पंद्रह लाख पचास हजार चार सौ अंठ्यानबे मात्र) की स्वीकृति दी गई।

6. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवा अवधि दिनांक 19.02.2020 से 1 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवा अवधि दिनांक 19.02.2020 से 1 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. गोपनीय विभाग के लिए अलग–अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिए राशि रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः गोपनीय विभाग के लिए अलग–अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिए राशि रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) स्वीकृति दी गई।

8. डिग्री मुद्रण देयक राशि रु. 16,81,500/– (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णयः डिग्री मुद्रण देयक राशि रु. 16,81,500/– (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फर्म New Bharat Security & Detective Sercvices, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल दिनांक 31.08.2020 से 02 माह के लिए वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. महाविद्यालयों को सत्र 2019–20 का सब्सिडी राशि दिए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः महाविद्यालयों को सत्र 2019–20 में प्रदान की जाने वाली (महाविद्यालयों की सूची अनुसार) कुल सब्सिडी राशि रुपए 5.66 लाख (रुपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, एवं धारा 33 का 4 में हुए संशोधन को स्वीकार करने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 74 दिनांक 05 मार्च, 2019 एवं उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) से प्राप्त पत्र क्रमांक 486/42/आउशि/सम/2020, दिनांक 02.07.2020 के परिपालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, धारा 33 का 4 में हुए संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।

आई.क्यू.ए.सी. से प्राप्त प्रस्ताव

12. आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव

13. गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वर्ष 2019–20 की विभिन्न सेमेस्टर (I & III Sem. & II & IV Sem. (ATKT) DEC-JAN 2019-20) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 11,81,025/– (रुपए ग्यारह लाख इक्यासी हजार पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

14. विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म से अनुबंध के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएयट्स से कराए जाने का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. HRDC Program में आने वाले प्रतिभागी, विशेषज्ञ विद्वानों को HRDC Guideline 2019 के अनुरूप TA/DA एवं Conveyance का भुगतान किए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः **HRDC Program में आने वाले प्रतिभागी, विशेषज्ञ विद्वानों को HRDC Guideline 2019 के अनुरूप TA/DA एवं Conveyance का भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

3. वर्ष 2020–21 में विश्वविद्यालय परिसर स्थित उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव हेतु सहायक संचालक उद्यानिकी रायपुर (छ.ग.) को राशि रु. 13,71,711=00 (तेरह लाख इकहत्तर हजार सात सौ ग्यारह रुपए मात्र) भुगतान किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वर्ष 2020–21 वार्षिक रख–रखाव हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 27,43,423/– (रुपए सत्ताईस लाख तिरालिस हजार चार सौ तेईस मात्र) डिपाजिट वर्क अंतर्गत उद्यानिकी विभाग से कार्य कराने का अनुमोदन कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में दिनांक 03.07.2020 को किया जाकर कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि की पचास प्रतिशत राशि रु. 13,71,711=00 (रुपए तेरह लाख इकहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यानिकी रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 21.07.2020 किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. 'कायिक निधि (कॉरपस फंड) विनियम' के संबंध में विचार करना।

निर्णयः 'कायिक निधि (कॉरपस फंड)' विनियम क्रमांक–184 का अनुमोदन किया गया।

5. डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्राध्यापक, सेवानिवृत्त को प्रदाय किए गए अग्रिम (परीक्षा मद) एवं अनुदान अग्रिम परियोजना से बकाया राशि का सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान एवं उपादान राशि से समायोजन किए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्राध्यापक (से.नि.) से अग्रिम (परीक्षा मद) एवं अनुदान अग्रिम परियोजना से बकाया राशि रु. 22,22,446/– (रुपए बाईस लाख बाईस हजार चार सौ छियालिस मात्र) एवं 14,440/– (रुपए चौदह हजार चार सौ चालीस मात्र) कुल राशि रु. 22,36,846/– (रुपए बाईस लाख छत्तीस हजार आठ सौ छियालिस मात्र) एवं शेष बकाया राशि रु. 1,35,246/– (रुपए एक लाख पैंतीस हजार दो सौ छियालिस मात्र) का समायोजन संबंधित के सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान एवं उपादान राशि से किए जाने स्वीकृति दी गई।

4

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव :–

01. NCNR विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख–रखाव के लिए कुल रु. 19,07,801=00 (रुपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः NCNR विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख–रखाव के लिए कुल रु. 19,07,801=00 (रुपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की स्वीकृति दी गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

10.9.20
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 122 /अका./का.प/2020

रायपुर, दिनांक 10/09/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10.9.20
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 510/अका./वि.प.स्थायी समिति/2020 रायपुर, दिनांक 16.10.2020

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16.10.2020 को मध्याह्न 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	–	सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	–	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश	–	सदस्य
5. डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
6. डॉ. एस.के. जाधव	–	सदस्य
7. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	–	सदस्य
8. डॉ. गिरीशकान्त पाण्डेय, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्यवृत्त :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : (1) विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 में विषय क्र. 4 में शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर में संचालित **M.Sc. Maths** के लिए 5 सीट वृद्धि **(30+5= 35 Seat)** मान्य किया गया।

(2) विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 में विषय क्र. 3(xi) में नवीन अशासकीय महाविद्यालय– विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस (कॉलेज डिवीजन), रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर में बी.बी.ए. प्रथम वर्ष में अध्यादेश क्रमांक–91 के अनुसार 60 सीट के स्थान पर 40 सीट किए जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त निर्णय मान्य करते हुए दिनांक 09.09.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला–रायपुर	B.Sc.-I (Bio.)	30	2020–21
		B.Sc.-I (Maths)	30	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई। इण्डोमेंट फण्ड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।			
(ii)	शास. महाविद्यालय, लवन, जिला–बलौदाबाजार– भाटापारा	B.A.-III Sociology	60	2020–21
		B.A.-III History	60	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			
(iii)	यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	M.A.- I/II Sem. Sociology	20	2020–21
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			
(iv)	शास. काव्योपाध्याय हिरालाल महावि. अभनपुर, जिला–रायपुर	B.Sc.-I- Computer Sc.	40	2020–21
		M.Sc.- I/II Sem. Botany	20	
		M.Com.- I/II Sem.	20	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			
(v)	शास. नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी रायपुर	B.A.-III- Geography, Political, Economic	90	2020–21
		B.A.-I- Sociology	40	
		B.Com. -III- All Compulsory Subject	90	
		B.Sc.-III- Physics, Chemistry, Maths	90	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			
(vi)	शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी	PGDCA- Computer Sc.	20	2020–21
		M.A.-I/II Sem. Political Sc.	20	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

4. Bachelor of Library & Information Science, Master of Library & Information Science उपाधि प्रोफार्मा का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 17.05.2019 में विषय क्रमांक 5 में लिए गए निर्णय में "NAAC Accreditation 'A' को विलोपित कर" को विलोपित करते हुए **Bachelor of Library & Information Science, Master of Library & Information Science** के उपाधि प्रोफार्मा की अनुशंसा की गई।

5. सत्र 2020–21 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं संबद्धता वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद
2	फणीकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	विवेकानंद महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
2	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर

निर्णय: **उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

पूरक विषयसूची

1. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	शासकीय नवीन महावि. वटगन, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा	**B.Sc.-III-** Bio Group-Chemistry, Botany, Zoology	90	2020–21
		B.A.-III- F.C. (Hindi, English), Political Sc., Geography, Hindi Litt., Economics	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
	निर्णय: **निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।**			

2. शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला–महासमुंद की सत्र 2019–20 से सीट वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. एफ 3–27/2019/38–1 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला–महासमुंद में निम्नानुसार सीट वृद्धि सत्र 2019–20 से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई –**

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1	बी.ए. प्रथम	215	35	250
2	बी.ए. द्वितीय	215	35	250
3	बी.ए. तृतीय	215	35	250
4	बी.एस–सी. प्रथम	60	30	90
5	बी.एस–सी. द्वितीय	60	30	90
6	बी.एस–सी. तृतीय	60	30	90
7	एम.ए. पूर्व हिंदी	25	5	30
8	एम.ए. पूर्व राजनीतिशास्त्र	25	5	30

3. शोध आवेदक के शोध निर्देशक के सेवानिवृत्ति उपरांत छात्र के पंजीयन प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः शिक्षा विषय एवं राजनीतिविज्ञान विषय में शोध–निर्देशक डॉ. शोभा पुरकर, कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर दिनांक 01 नवंबर, 2019 को एवं डॉ. डी.एन. सूर्यवंशी, सेठ आर.सी. एस. महाविद्यालय, दुर्ग दिनांक 01 जनवरी, 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। शोध–उपाधि समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाई थी। छात्रहित में इनके अधीन छात्रों के पूर्व से लंबित पंजीयन प्रकरणों को विशेष प्रकरण के रूप में शोध–उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ। भविष्य में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लिए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. पी–एच.डी. शोध उपाधि समिति एवं मौखिकी परीक्षा के लंबित प्रकरणों में बाह्य विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पी–एच.डी. शोध उपाधि समिति की विभिन्न विषयों की बैठकें तथा पी–एच.डी. मौखिकी परीक्षा कोविड–19 के कारण अत्यंत विलंबित होने के कारण RDC की बैठकों एवं पी–एच.डी. मौखिकी हेतु आने वाले बाह्य विशेषज्ञों को कुलपति जी के अनुमति से हवाई यात्रा हेतु दी जा रही अनुमति के लिए 15 दिवस के अंतराल की सीमा को शिथिल करने की अनुशंसा की गई।

2. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में डिप्लोमा इन यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस के अंतर्गत सिंधी लैंग्वेज में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।

निर्णय : साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में डिप्लोमा इन यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस के अंतर्गत सिंधी लैंग्वेज में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई एवं भाषाविज्ञान अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा 2020 में संलग्न शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान विषयक।

निर्णय : कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में जिन वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा 2020 स्नातक स्तर के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा के स्थान पर Assignment कार्य निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर लिया जा रहा है उस Assignment कार्य के लिए मूल्यांकनकर्ता को प्रति उत्तरपुस्तिका राशि रुपए 07 (रुपए सात मात्र) पारिश्रमिक दर निर्धारित करने की अनुशंसा की गई। यह केवल सत्र 2019–20 के लिए लागू होगा।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

16.10.20
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 511 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2020 — रायपुर, दिनांक 16.10.2020

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

16.10.20
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका)

।।कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने वाला टीप।।

माननीय कार्यपरिषद के बैठक दिनांक 16.01.2007 एवं 19.02.2020 के परिप्रेक्ष्य मे श्री राजेश पाण्डेय एवं श्री जन्मेजय सोन को स्थानीय न्यायालय रायपुर मे पैरवी करने हेतु प्रतिमाह मानदेय राशि 6000/– एवं अन्य व्यय 1500/–(प्रति प्रकरण) हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद के बैठक दिनांक 19.02.2020 के द्वारा उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पैनल अधिवक्ताओ का मानदेय राशि मे 25% वृद्धि हेतु अनुमोदन किया गया है।

कार्यपरिषद के बैठक दिनांक 19.02.2020 परिप्रेक्ष्य मे स्थानीय न्यायालय मे पैरवी कर रहे अधिवक्ताओ का प्रतिमाह मानदेय राशि 6000/– में 25 % वृद्धि किये जाने व 1500/– अन्य व्यय दिये जाने हेतु कार्यपरिषदके समक्ष रखे जाने अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

05-10-2020
(Dr. Venudhar Routiya)
Legal Officer
Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.)

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु टीप

डॉ. प्रदीप दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी तीनों सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर से प्राप्त क्रं. 314/ 132/आउशि/वि वि अनु./2020 नया रायपुर दिनांक 26.08.2020 के द्वारा पेंशन प्रकरण पर आपत्ति निरूपित किया गया था ।

अपने पत्र में संचालनालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वेतनमान 5500–9000 विभागीय ज्ञापन कं. 1844/3568/2008/38–2 दिनांक 23.05.2012 द्वारा पद सृजन स्वीकृत किया गया है। तदअनुसार पेंशन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

उक्त संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय के माननीय कार्य परिषद द्वारा शासन से प्राप्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.04.2005 के बिन्दु क्रं. 02 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वि. वि. कार्यालय के आदेश कमांक 2299/सा.प्रशा./2012 दिनांक 21.06.2012 को उपरोक्त तीनों तकनीकी सहायक को वर्ष 1996 से वेतनमान 5500–9000/– मान्य किया गया था। उक्त वेतनमान पर आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा यह आपत्ति निरूपित की गई है कि जिस तिथि को पद एवं वेतनमान ही स्वीकृत नहीं हुआ है उस तिथि से पद एवं वेतनमान दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर द्वारा पद एवं वेतनमान स्वीकृति तिथि वर्ष 2012 से संशोधित करते हुए वेतन निर्धारण कर पेंशन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

उच्च शिक्षा संचनालय के पत्रानुसार वेतनमान संशोधन किये जाने के प्रकरण पर माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

07/10/20

वित्त निर्देश 21 /2020

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर

क्र372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक29/07/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत्

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को सामान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के समस्त पदों, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा ली जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं, के लिए छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाये। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाये।

2. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों/ कार्यालयों के साथ–साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाये।

3. (1) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020, दिनांक 28.07.2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28.07.2020 में हो चुका है।

(2) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी (1) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत; द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा; परन्तु

परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(1) संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है।

(4) वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

4. (1) राज्य के सभी निगम/मंडल/आयोग/ प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये:–

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त **कर्मियों** को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते **कार्यरत अन्य कर्मियों** की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब कर्मी का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(2) नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में अनुषांगिक कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों/संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है।

5. यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रभावशील माना जायेगा।

संलग्न:–यथोपरि

29/7/20

(अमिताभ जैन)
अपर मुख्य सचिव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 22सी के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) (क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;
द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;
तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा.

(ग) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है."

No. 367/Fin./Rule/IV/2020.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 22 C, the following shall be substituted, namely :—

"(1) (a) The following stipend shall be payable to the Government Servant selected on the posts of direct recruitment during the probation period of three years :—

First year — 70 percent of the minimum of the pay scale of the post;
Second year — 80 percent of the minimum of the pay scale of the post;
Third year — 90 percent of the minimum of the pay scale of the post;

Provided that during probation period, other allowances along with stipend shall be received as a Government Servant.

(b) On confirmation in the service or post after the expiry of the period of probation, the pay of the Government Servant shall be fixed at minimum in the time-scale applicable of the service or the post.

(c) The Government Servant selected on the posts of direct recruitment also includes the appointment of selected candidates through Chhattisgarh Public Service Commission."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

डॉ.ए.के.पति., प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर वर्तमान में कुलपति, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर को कुलाधिपति के अतिरिक्त सचिव, राजभवन, भुवनेश्वर से जारी अधिसूचना क्रमांक GOV-DE-UXII-0004-2020/8048/SG (HE) दिनांक 09.10.2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में डॉ.ए.के.पति., प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर में कुलपति के पद पर दिनांक 30.11.2020 तक या नए कुलपति के पदभार ग्रहण किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए वृद्धि की गई है।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1436/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 02.07.2020 के द्वारा डॉ.पति को दिनांक 25.07.2017 से 24.10.2020 तक तीन माह का धारणाधिकार स्वीकृत की गई थी।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम–31 भाग–2 की कंडिका–11 का उद्धरण निम्नानुसार है :–

"On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively. If appointed substantively to another post. Acquires a lien on the second post and cases to hold any lien on the first one"

डॉ.ए.के.पति., प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार के अनुक्रम में दिनांक 25.10.2020 से 30.11.2020 तक वृद्धि के संबंध में माननीय कार्य परिषद् के समक्ष विचरार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

RDC Commerce की बैठक 07.10.2020 का कार्यवृत

VINAYAK
PAGE No.
DATE / /

(7) शोध केन्द्र की मान्यता विषयक "महन्त लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर" के आवेदन पत्र पत्र, संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अत: वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है। उपरोक्तानुसार मान्यता (सदर्भ ग्रंथ हेतु रु. एक लाख की पुस्तकें क्रय किये जाने की शर्त पर दी जाती है।

07.10.2020

(Prof. R.D. Diwan)
Chairman BoS

(Prof. D. K. Verma)
Dean

(Prof. Anil Shivani)
External Expert

(Dr. Keshari Lal Verma)
V. C.

Signature ________